रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 1994/आषाढ़ 31, 1916
No. 307] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 1994/ASADHA 31, 1916

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1994

सा. का. नि. 592(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 129 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दुर्घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(2) ये 1 अगस्त, 1994 को प्रवृत्त होंगे ।

2. रेल दुर्घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 1 के उपनियम (1) में, "रेल दुर्घटना" शब्दों के स्थान पर "रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना" शब्द रख जाएंगे ।

3. मूल नियम के नियम 2 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित या जाएगा और—

(i) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपनियम (1) के खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ङ) "अनपेक्षित घटना" से अधिनियम की धारा 123 के खंड (ग) में परिभाषित घटना अभिप्रेत है';

(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उन शब्दों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में, हैं ।"

[सं. 93/टी.जी-II/1026/6/बीमा स्की.]

बलदेव सिंह, कार्यकारी, निदेशक. लोक शिकायत
(रेल बोर्ड)

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 7 जून, 1990 में सा. का. नि. सं. 552(अ) तारीख 7 जून, 1990 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

MINISTRY OF RAILWAY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 1994

G.S.R. 592(E).—In exercise of the powers conferred by section 129 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Railway Accidents (Compensation) Rules, 1990, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Accidents (Compensation) Amendment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the 1st day of August, 1994.

2. In rule 1 of the Railway Accidents (Compensation) Rules, 1990 (hereinafter referred to as the principal rules), in sub-rule (1) for the words "Railway Accidents", the words "Railway Accidents and Untoward Incidents" shall be substituted.

3. Rule 2 of the principal rules shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and—

(i) in sub-rule (1) as so renumbered, for clause (e), the following clause shall be substituted, namely :—

'(e) "untoward incident" means an incident defined in clause (c) of section 123 of the Act.' ;

(ii) after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2) The words used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.".

[No. 93|TG-II|1026|6|Ins. Schemes]

BALDEV SINGH, Executive Director
Public Grievances
(Railway Board)

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3 sub section (i) dated the 7th June, 1990 vide GSR No. 552(E) dated 7th June, 1990.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994